रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234638
CG-DL-E-29032022-234638

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944
No. 169] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

सं. एल–7/105(121)/2007–केविविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2018, जिसकी फाइल सं. पीएम/एनओएआर/2016/केविविआ है, को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग–III, खंड–4, सं. 23) (इसके बाद पांचवा संशोधन विनियमों के रूप में उल्लिखित) में दिनांक 02.02.2019 को अधिसूचित किया गया थे,

चूंकि, उक्त पांचवा संशोधन विनियमों के विनियम (1) के खंड (1.2) में प्रावधान है कि ये विनियम आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे,

और अब, इसलिए, एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:

(क) पांचवां संशोधन विनियम के खंड 9.1 को छोड़कर पांचवां संशोधन विनियम, [केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, इसके बाद ''मूल विनियम'' के रूप में उल्लिखित, के विनियम 8 का संशोधन] दिनांक 01.05.2022 से प्रवृत्त होंगे। अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदक, विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 1.5.2022 से पूर्व एनओएआर (राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री) में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(ख) पांचवां संशोधन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व मौजूदा मूल विनियमों के तदनुरूपी उपबंध, अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के आवेदनों के लिए या दिनांक 30.04.2022 तक प्राप्त स्थायी क्लियरेंस तक प्रचालन में बने रहेंगे, जिन्हें मूल विनियमों के ऐसे मौजूदा उपबंधों के अधीन संसाधित किया जाएगा।

(ग) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के अधीन, पांचवां संशोधन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व मौजूदा मूल विनियमों के विनियम 4 के अधीन जारी विस्तृत प्रक्रियाएं अगले आदेशों तक प्रचालन में बनी रहेंगी।

एस. के. चटर्जी, प्रमुख (विनियामक मामले)

[विज्ञापन–III/4/असा.723/2021–22]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, 21st March, 2022

No.L-7/105(121)/2007-CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 bearing File No. PM/ NOAR/2016/CERC were notified on 02.02.2019 in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 279) (hereinafter referred to as "5th Amendment Regulations"),

Whereas the Clause (1.2) of Regulation (1) of the said 5th Amendment Regulations provides that the Regulations shall come into force from the date to be separately notified by the Commission,

And now, therefore, it is hereby notified as under:

(a) 5th Amendment Regulations except Clause 9.1 of the 5th Amendment Regulations [amending Regulation 8 of CERC (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, hereinafter referred to as the "Principal Regulations"] shall come into force with effect from 01.05.2022. The short term open access applicants may apply for registration in NOAR prior to 1.5.2022 in accordance with the detailed procedure.

(b) Corresponding provisions of the Principal Regulations existing prior to coming into force of 5th Amendment Regulations shall continue to be in operation for applications of short term open access or Standing clearance received till 30.04.2022, which shall be processed under such existing provisions of the Principal Regulations.

(c) Under Section 6 of The General Clauses Act, 1897, Detailed Procedures issued under Regulation 4 of the Principal Regulations existing prior to coming into force of 5th Amendment Regulations shall continue to be in operation till further Orders.

S. K. CHATTERJEE, Chief (Regulatory Affairs)

[ADVT.-III/4/Exty./723/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.29 23:03:32 +05'30'